रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 2014/वैशाख 22, 1936
No. 116] NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 2014/VAISAKHA 22, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2014

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित मापन टेप्स के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं.15/9/2014-डीजीएडी.—यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित मापन टेप्स (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी मूल जांच प्रारंभ की थी और दिनांक 01 सितम्बर, 2003 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/31/2002-डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। तदनुसार, चीन जन.गण. में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. 147/2003 के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की और यह निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध देश में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर

उदग्रहित पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसलिए दिनांक 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 15/2/2008-डीजीएडी के तहत शुल्क की निरंतरता की सिफारिश की थी। तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर राजस्व विभाग ने अपनी दिनांक 15/05/2009 की अधिसूचना सं. 49/2009-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क का विस्तार कर दिया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1995 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर लिया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा।

3. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी को ऐसे साधन की समाप्ति की तारीख से उपयुक्त समय के अंदर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किए गए पर्याप्त साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और यतः, उपर्युक्त प्रावधान में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारत में मापन टेप्स के एक बड़े विनिर्माता मैसर्स एफएमआई लिमिटेड, लुधियाना ने एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र प्रस्तुत करते हुए प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वह संबद्ध देश में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर विगत में दिनांक 15.05.2009 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 49/2002-सीमाशुल्क के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करें और उन्होंने पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की मांग की। यह अनुरोध इन आधारों पर आधारित है कि संबद्ध देश में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद भी बनी हुई है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के कारण निरंतर क्षति सहन करनी पड़ रही है। आवेदनकर्ता ने पुनः यह तर्क दिया कि संबद्ध देश के विरूद्ध इस साधन को समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. और, प्राधिकारी, आवेदनकर्ता द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह विचार करते हैं संबद्ध देशों से पाटन को समाप्त करने के लिए इस शुल्क की निरंतरता की जांच करने के लिए कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करना और यह जांच करना उपयुक्त होगा कि यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाए अथवा उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग एवं आधार

6. यह आवेदनपत्र, भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक मैसर्स एफएमआई लिमिटेड, लुधियाना (जिसे एतद्पश्चात घरेलू उद्योग या आवेदनकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है।

आवेदनकर्ता ने देश में इस संबद्ध वस्तु के कई अन्य उत्पादकों की सूची भी प्रदान की है अर्थात फ्रीमैन्स मीजर्स लिमिटेड, क्लास टेप कंपनी, वीनस इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, अम्बिका ओवरसीज़ और न्यू वेव इंडस्ट्रीज इंडिया। इन सभी उत्पादकों ने इस याचिका का समर्थन किया है। तथापि, प्राधिकारी के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अकेले आवेदनकर्ता का उत्पादन ही भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है और वह नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

7. घरेलू उद्योग द्वारा समीक्षा की आवश्यकता को साक्ष्यांकित करते हुए प्रथमदृष्टया सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी प्रभावी शुल्क के सतत अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह देखने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एतद्द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मापन टेप्स या टेप्स है। प्राधिकारी ने मूल जांच में दिनांक 01 सितम्बर, 2003 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/31/2002-डीजीएडी के तहत विचाराधीन उत्पाद का वर्णन निम्नवत किया था :

"5. विचाराधीन उत्पाद "मापन टेप्स", इसके पार्टस और संघटक आदि हैं, वर्तमान याचिका में सभी प्रकार के स्टील मापक और फाइबर ग्लास के बने टेप्स और उसके पार्टस तथा संघटकों को विषयवस्तु माना गया है। इसका प्रयोग किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फोरमेन, राज, बढ़ई, वन विभाग और दर्जी आदि द्वारा किया जाता है। मापन टेप्स का विनिर्माण टेम्पर्ड हाई क्वालिटी कार्बन स्टील ब्लेड द्वारा किया जाता है और फिर उन्हें फास्फेटेड एवं विशेष प्रकार के इनेमल से रंगा जाता है जिससे कि उनमें सिकुड़न न आए या जंग न लगे। मापन टेप्स का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है :

क. उच्च प्रिसीजन प्रोफेशनल जाब्स;
ख. किसी वस्तु की गहराई, चौड़ाई या लम्बाई नापने के लिए;
ग. संकुचन एवं सर्वेक्षण।

6. तकनीकी रूप से मापन टेपों को टेप की लम्बाई और चौड़ाई, प्रयोग किए गए कच्चे माल अर्थात इस्पात या फाइबर ग्लास और अंततः उस प्रिसीजन जिससे फीते पर आयाम अंकित किए जाते हैं, के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 90 के अंतर्गत उप-शीर्षक सं. 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात उपर्युक्त उप-शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क

वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।"

9. वर्तमान जांच में इस विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो पिछली अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पादक दायरा था।

10. मापन टेप्स को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 90 के अंतर्गत उप-शीर्षक सं. 9017, 9017.80, 9017.8010, 9017.90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि इस संबद्ध वस्तु का आयात उप-शीर्षक जैसे 90171000, 90173019, 90173029, 90178010, 90178090, 90189099 आदि के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और भारत में संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तु है; यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है; यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है; यह कि उपभोक्ता इन वस्तुओं का प्रयोग अंतरापरिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं और यह कि दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । जांच के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु दोनों समान हैं।

प्रक्रिया

12. यह जांच निर्धारित करेगी कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने तथा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाठन को दूर करने के लिए शुल्क का सतत अधिरोपण आवश्यक है और क्या शुल्क को समाप्त कर दिए जाने अथवा उसमें परिवर्तन कर दिए जाने से क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना है।

(i) इस समीक्षा में दिनांक 15.05.2009 की अधिसूचना सं. 49/2009-सीमाशुल्क के सभी पहलू कवर होंगे।

(ii) इस समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण. है।

(iii) जांच की अवधि अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 है और क्षति विश्लेषण के लिए विगत तीन वर्षों अर्थात 2010-11, 2011-12, 2012-13 और जांच की अवधि के आंकड़ों पर भी विचार किया जाएगा।

(iv) नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके राजदूतावास के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरुप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रदान करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करने हेतु अलग से संबोधित किया जा रहा है।

भारत सरकार
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरुप और ढंग में इस जांच से संगत जानकारी का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय पाठ भी उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई के कोई अनुरोध लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय में पहुंच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

16. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर पाटनरोधी कि इस शुल्क को जारी रखा जाए या नहीं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ की संख्या आदि) तथा (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिह्नित

(शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

18. किसी भी तरह के गोपनीय चिह्न के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी के अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने का अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां तथा अगोपनीय पाठ की पांच (05) प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

19. गोपनीय के रूप में दावाकृत किसी भी सूचना के लिए सूचना के प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदत्त सूचना के साथ-साथ उन कारणों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा कि उक्त सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या उक्त सूचना को सारांश रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है।

20. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

21. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीय के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना के सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. पाटनरोधी अधिनियम के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रुपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगकर्ता के रूप में घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध

तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2014

(Sunset Review)

Subject: Sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of Measuring Tapes originating in or exported from China PR.

No. 15/9/2014-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the AD Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated the original anti dumping investigation in respect of the imports of Measuring Tapes (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and definitive anti dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 14/31/2002-DGAD dated 1st September, 2003. Accordingly, definitive anti dumping duties were imposed vide Ministry of Finance Notification No 147/2003-Customs dated 7th October, 2003 on all imports of the subject goods originating in or exported from China PR. Thereafter, the Authority initiated the sunset review investigation and concluded that the expiry of anti dumping duty levied on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country would lead to continuation or recurrence of dumping and injury and vide notification No. 15/2/2008-DGAD, dated the 27th March, 2009 recommended continuation of the duty. Accordingly, the Department of Revenue extended the anti dumping duty on the subject goods from subject country vide Notification No. 49/2009-Customs dated 15.05.2009.

Request for Review

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff Act, 1995, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s FMI Limited, Ludhiana, major manufacturer of Measuring Tapes in India, has approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duty earlier imposed vide Ministry of Finance Notification No. 49/2009-Customs dated 15.05.2009 on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and seeking the continuation of anti-dumping duty. The request is based on the grounds that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country has continued in spite of the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject country and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country. The applicant has further argued that the expiry of the measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicant considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject country and to examine as to

whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

Domestic Industry and Standing

6. The application has been filed by M/s FMI Limited, Ludhiana (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicant), producer of the subject goods in India. The applicant has listed a number of other producers of the subject goods in the country, viz., Freemans Measures Limited, Klas Tape Co., Venus Industrial Corpn., Ambika Overseas and New Wave Industries. All these producers have extended support to the petition. However, as per the records available with the Authority, the applicant alone accounts for major share in Indian production and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

7. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry that there is dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates the Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duties would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration and Like Article

8. The product under consideration in the present petition is Measuring Tapes or Tapes. In the original investigation, vide Final Findings Notification No 14/31/2002-DGAD dated 1st September 2003, the Authority considered the description of the product as under:

> *"5. The product under consideration is "Measuring Tapes", its parts and components etc., all type of steel measuring and fibre glass tapes and their parts or components are the subject matter of the present petition. It is generally used for measuring the length, breadth etc. of an object. It is used by foreman, mason, carpainter, forestry departments and tailors etc. Measuring Tapes are manufactured from tempered high quality carbon steel blade, phosphated and coated with special enamel to withstand corrosion and rust. Measuring tapes are used for: -*
>
> *a. high precision professional jobs;*
>
> *b. measuring depth, width, or length of an object;*
>
> *c. contraction and surveys.*
>
> *6. In technical terms the measuring tapes are defined in terms of length and width of a tape, raw material used i.e. steel or fibre glass and, finally precision with which dimensions are marked on the tape. It is classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act under sub-headings 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90. The petitioner has stated that subject goods are being imported under above-mentioned sub-headings. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation."*

9. The scope of the product under consideration in the present investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified.

10. Measuring tapes are classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act under sub-headings 9017, 9017.80, 9017.8010, 9017.90. The petitioner has stated that subject goods are being imported under sub-headings such as 90171000, 90173010, 90173029, 90178010, 90178090, 90189099 etc. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

11. Further, the applicants submitted that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject country are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules; that there is no known difference between the subject goods imported from the subject country and that produced by the domestic industry; that the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable.

After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject country.

Procedure

12. The investigation will determine as to whether the expiry of the measures would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

i. The review will cover all aspects of the Notification No. 49/2009-Customs dated 15.05.2009.
ii. The country involved in the review investigation is China PR.
iii. The period of investigation (POI) is from April, 2013 to December, 2013 and for injury analysis, data of the previous three years, viz., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI will be considered.
iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

13. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

23. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.